न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 39 / 2022

बउनवान

1. कालूलाल आयु 72 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर, जाति अहीर, निवासी–श्यामपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)
2. हंसराज आयु 50 वर्ष पुत्र कालूलाल, जाति अहीर, निवासी–श्यामपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)
3. नरेन्द्र आयु 48 वर्ष पुत्र कालूलाल, जाति अहीर, निवासी–श्यामपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)
4. भूरालाल आयु 40 वर्ष पुत्र कालूलाल, जाति अहीर, निवासी–श्यामपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)
5. हरीश आयु 45 वर्ष पुत्र कालूलाल, जाति अहीर, निवासी–श्यामपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

रामकुवांर पुत्र भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी– श्यामपुरा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील विरूद्व निर्णय / आदेश दिनांक 30.09.2022 बमुकदमें दावा संख्या–04 / 2022 अंतर्गत धारा–183(बी) आर.टी ए. बउनवान घांसीलाल बनाम कालूलाल वगै. न्याया. तहसीलदार बारां

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया अभिभाषक (रेस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 29.03.2023

अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 30.09.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी / रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी आर. टी. एक्ट पेश कर अंकित किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील बारां में आराजी खाता संख्या नया–170 पुराना –33 की खसरा नंबर–581 / 240 की रकबा 0.08 है. खसरा नंबर– 582 / 259 रकबा 0.32 है., खसरा नंबर– 584 / 479 रकबा 0.47 है., खसरा नंबर–586 / 326 रकबा 0.44 है. कुल किता 4 रकबा 1.31 है. भूमि प्रार्थी / रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी / रेस्पो. काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी / रेस्पो. जाति से मेघवाल है, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, जो अत्यंत गरीब व वृद्ध हैं, जिसकी आजीविका का एक मात्र साधन उक्त आराजी है। अपीलांट्स / अप्रार्थीगण लड़ाकू / झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक राय होकर दिनांक [illegible]6.2022 को धनबल के आधार पर व ताकत के बल पर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर– 586 / 326 रकबा 0.42 है. को हांक कर जबरन कब्जा कर लिया है। अपीलांट्स / अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम श्यामपुरा, तहसील बारां में कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2075 (वर्ष 2018) में खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:42 IST
Reason: SelfAttested

संख्या नया–33 पुराना–31 में आराजी खसरा नंबर– 326 रकबा 0.42 है., खाता संख्या नया–169 पुराना–33 में आराजी खसरा नंबर– 585/326 रकबा 0.29 है., जमाबंदी खाता संख्या नया– 170 पुराना–33 खसरा नंबर– 586/326 रकबा 0.44 है. तथा इसी प्रकार संवत् 2038–57 में साबिक खसरा नंबर–212 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नंबर– 326 रकबा 1.15 है. स्थित है। उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार गज्जा उर्फ गजानंद वल्द रामा जाति–चमार साकिन श्यामपुरा थे, तथा गत सेटलमेंट के पूर्व उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर–367/192 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा थी, जिसे तत्कालीन खातेदार द्वारा श्रीलाल धाकड़ के यहाँ रहन थी, जिसे चुकाने तथा काश्तकारी हेतु बैल खरीदने के लिये रुपयों की आवश्यकता होने पर तत्कालीन खातेदार गज्जा उर्फ गजानंद द्वारा उक्त आराजीयात का बैचान नन्दकिशोर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति– अहीर को पूर्व में मौखिक इकरार की पालना में दिनांक 30.05.1957 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बैचान कर दिया था तथा कब्जा मौखिक इकरार के समय ही नंदकिशोर क्रेता को संभला दिया था, जो अप्रार्थी/अपीलांट कालूलाल का पिता है, तभी से नंदकिशोर का पुत्र वारिस होने से अप्रार्थी/अपीलांट कालूलाल लगाताार निर्बाध रूप से निरंतर काबिज काश्त, मालिक चला आ रहा है। बाद बहस अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय/आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत है। आदेश/निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व विधि के विपरीत होने से प्रथमदृष्ट्या निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजिरों को निर्णय/आदेश में स्थान नहीं दिया है और न उनका पठन किया है। मनमाने तरीके से आदेश/निर्णय पारित कर त्रुटि की है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2022 के अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व से ही अपीलांट/अप्रार्थी क्रम–01 कालूलाल काबिज–काश्त चला आ रहा है, जिसका दिनांक 30.05.1957 से खरीदार क्रेता होने से विक्रेता द्वारा वैधानिक रूप से कब्जा संभलाया गया है, जिसकी कोई विवेचना निर्णय/आदेश में नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश/निर्णय पारित कर त्रुटि की है। विधि अनुसार भी दिनांक 30.05.1957 को खातेदार गज्जा उर्फ गजानंद द्वारा श्रीलाल धाकड़ के यहां उक्त आराजी रहन रखी होने से उसका कर्जा चुकाने व बैल खरीदने के लिए वैध रूप से नंदकिशोर पुत्र श्री रामचंद्र को विक्रय की है जो अपीलांट/अप्रार्थी क्रम–01 कालूलाल का पिता है और नंदकिशोर की मृत्यु के पश्चात् से ही वारिस होने से काबिज चला आ रहा है। इस कारण दिनांक 07.06.2022 से जबरन कब्जा कर लेने का कथन बनावटी, मिथ्या, स्वप्रमाणित है। कब्जा रजिस्टर्ड दस्तावेज से अंतरित हुआ है। ऐसा विक्रय पत्र शून्य नहीं है, फिर भी आदेश/निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसका निर्णय नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय/आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.09.2022 अपास्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:42 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अपीलांट क्रम 1 एवं रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित रहे। तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस इस आशय की प्रस्तुत की कि रेस्पो. के विरूद्ध जैरकार अपील चलने योग्य नही है, क्योंकि उक्त आराजियात रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की

जिला कलक्टर बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर

आराजियात है, जिस पर रेस्पोडेन्ट अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त हैं, उक्त आराजियात वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बारां में खसरा नंबर 586/326 रकबा 0.44 है. की आराजियात पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हुये है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध तहसील बारां में धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट की कार्यवाही पेश की थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रकरण संख्या 4/2022 दायरा दिनांक 17.06.2022 निर्णय दिनांक 30.09.2022 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय सुनाते हुये तहसीलदार बारां ने उक्त आराजियात से अपीलांट कालूलाल को बेदखल करते हुये दिनांक 24.11.2022 को मौके पर रेस्पोडेन्ट को सीमाज्ञान करते हुये ग्रामवासियों व पुलिस की मौजूदगी में कब्जा संभलाया था, जो खडी फसल पर सरसो को नष्ट नही करते हुये अपीलांट को पाबन्द किया था। झूंठे तथ्यो के आधार पर अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपील पेश कर यथास्थिति के आदेश हुये है। जबकि रेस्पोडेन्ट दिनांक 24.11.2022 से तहसीलदार बारां हल्का कानूनगो व पटवारी कब्जा संभलाकर आये थे, तब से उक्त फसल की देखभाल कर सिंचाई कर तैयार होने की स्थिति में फसल आने पर फसल को काटने के लिये 05.03.2023 को गया तो अपीलांट ने थाना सदर बारां में रिपोर्ट पेश कर दी जिस पर थाना सदर बारां द्वारा रेस्पोडेन्ट को फसल काटने से रोक दिया जिसका अपीलांट को कोई हक व अधिकार नही है, वर्तमान में उक्त आराजियात पर खडी फसल सरसो पर रेस्पोडेन्ट का पूर्ण हक है। इसलिए रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजियात से फसल काटने से नही रोका जावे व अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील को खारीज फरमाया जावें।

दौराने बहस अपीलांट कम 1 ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब इस आशय का पेश किया कि दिनांक 30.09.2022 को बेदखल करना 24.11.2022 को सीमाज्ञान करते हुये ग्राम वासियान व पुलिस की मौजूदगी मे कब्जा संभलाना मौके पर कब्जा व फसल संभलाना अस्वीकार है। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के आदेश दिनांक 22.12.2022 से निर्णय दिनांक 30.09.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी हुई है इस कारण रेस्पाडेन्ट का काबिज होना असत्य है। फसल अपीलार्थी द्वारा बोई गई थी जिसे काटने का अधिकार रेस्पाडेन्ट को नही है खडी फसल पर रेस्पो. का कोई हक नही है, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी के पक्ष मे है। ग्राम श्यामपुरा तहसील बारां मे कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075 (वर्ष 20185) मे खाता संख्या नया 33 पुराना 31 मे आराजी खसरा नं0 326 रकबा 0.42 हेक्टे0 खाता संख्या नया 169 पुराना 33 मे आराजी खसरा नं0 585/326 रकबा 0.29 हेक्टे0 जमाबंदी खाता संख्या नया 170 पुराना 33 खसरा नं0 586/326 रकबा 0.44 हेक्टे0 तथा इसी प्रकार संवत 2038–57 मे साबिक खसरा न. 212 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नं. 326 रकबा 1.15 हेक्टे. स्थित है। उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार गज्जा उर्फ गजानंद वल्द रामा जाति चमार साकिन श्यामपुरा थे, तथा गत सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त आराजी साबिक खसरा नं. 367/93 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा थी जिसे तत्कालीन खातेदार द्वारा श्रीलाल धाकड के यहां र[illegible]से चुकाने तथा काश्तकारी हेतु बेल खरीदने के लिये रुपयो की आवश्यकता [illegible] गज्जा उर्फ गजानंद द्वारा उक्त आराजियात का बेचान नन्दकिशोर पुत्र रामा [illegible] जाति अहीर को पूर्व मे मोखिक इकरार की पालना मे दिनांक 30.05.1957 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दिया था तथा कब्जा मोखिक इकरार के समय ही नन्दकिशोर क्रेता को संभला दिया था क्रेता नंदकिशोर अप्रार्थी/अपीलांट कालूलाल का पिता है तभी से नंदकिशोर का पुत्र वारिस होने से अप्रार्थी/अपीलांट कालूलाल लगातार निर्बाध रूप से निरन्तर काबिज काश्त मालिक चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर

रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2022 के अनुसार स्पष्ट है कि पूर्व से ही अपीलांट/अप्रार्थी क्रम 1 कालूलाल काबिज काश्त चल आ रहा है जिसका दिनांक30.05.1957 से खरीददार क्रेता होने से विक्रेता द्वारा वैधानिक रूप से कब्जा संभलाया गया है। विधि अनुसार भी दिनांक 30.05.1957 को खातेदार गज्जा उर्फ गजानंद द्वारा श्रीलाल धाकड के यहां उक्त आराजी रहन रखी होने से उसका कर्जा चुकाने व बेल खरीदने के लिये वैध रूप से नंदकिशोर पुत्र रामचन्द्र को विक्रय की है जो अपीलांट/अप्रार्थी क्रम 1 कालूलाल का पिता है ओर नन्दकिशोर की मृत्यु के पश्चात से ही वारिस होने से काबिज चला आ रहा है इस कारण दिनांक 07.06.2022 से जबरन कब्जा कर लेने का कथन बनावटी मिथ्या स्वप्रमाणित है कब्जा रजिस्टर्ड दस्तावेज से अंतरित हुआ है ऐसा विक्रय पत्र शून्य नही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1957 को अवैध शून्य घोषित करवाने की कोई कार्यवाही रेपाडेन्ट ने आज तक नही की है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1979 पेज 494 की छायाप्रति पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने लिखित बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

अपीलांटगण द्वारा अपील इस आधार पर पेश की गई है कि विवादित आराजीयात के मूल खातेदार गज्जा उर्फ गजानंद वल्द रामा जाति चमार साकिन श्यामपुरा ने उक्त आराजीयात का दिनांक 30.05.1957 को रजिस्टर्ड बेचान अपीलांट क्रम 1 कालूलाल के पिता नन्दकिशोर को कर मौखिक इकरार की तिथि को ही कब्जा संभला दिया था तभी से बहैसियत क्रेता अपने जीवनकाल में नन्दकिशोर एवं उसके बाद अपीलांट काबिज काश्त है। तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1957 के आधार पर विवादित आराजीयात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अपीलांट क्रम 1 ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर.टी.ए. के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया हुआ है जो वर्तमान में लम्बित है।

उभयपक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर.टी.एक्ट विचाराधीन है जिसमें उनके हक निर्धारित होंगे। वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम श्यामपुरा खाता संख्या नया 170 पुराना 33 की आराजी खसरा नंबर 586/326 रकबा 0.44 है. रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का अवैध रूप से कब्जा होना साबित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 04/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी आर टी एक्ट बउनवान घासीलाल बनाम कालूलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 [illegible] जाती है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट [illegible] से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] 2023 [illegible] इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:42 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)